

प्रति,

प्राचार

शास्त्र आचार्य गन्धीमुरि नाम साहन  
पी.जी. मठाविधालय उवळी (छ.ग.)

विषय :- नियुक्ति हेतु आवश्यक ३२.तावेजों के प्रक्रिया

संदर्भ :- उ.ल. साक्षन अर्थ शिखा विकास मंगालव नमा २१५४२ अ

महोदय, घटांग ३० ३९२०/रफ-१०१९/२०१२ | ३८-१ नमा रायपुर (१२.११.१२)

संक्षिप्त विषयांतर्गत लेख हैं छि मैं आज दिनां

१२.११.२०१२ को आपके मठाविधालय मैं नियुक्ति हेतु

सम्बन्धित आवश्यक ३२.तावेज यथा २१५४५८ अ गूल प्रति,

इष सम्बन्धित अंडसूचीओं वी संख्य छाया प्रति जगा ३२.२०१२

महोदय से सम्बन्धित नियोग है छि उन्हें जिला विभाग

के सेविल लोडी वी स्वाक्षर प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति

करने हेतु वीय दिनों को समय देने वी है।

Received

On  
22/11/2012  
Signed on 19.11.12 (F.M)

प्रधानमंत्री

भवीत  
प्रधानमंत्री

वर्तमान पता :- ८० अमित शुक्ल

मोबाइल ६४-४४-३२-८१२

रायपुर (छ.ग.)

वर्तमान पता :- ४१६४५ त्रिवेनिंदा

निजली ओफिस उपास अमेरी कोड  
निलासगुरु (छ.ग.)

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**॥ मंत्रालय ॥**  
**नया रायपुर**  
**- - ० - -**  
**॥ आदेश ॥**

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3919/एफ-1-19/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 538/95/2010/19/चयन, दिनांक 21.06.2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (माइक्रोबायोलॉजी) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (माइक्रोबायोलॉजी) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

अनु. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
1	डॉ(श्रीमती) साधना जायसवाल एल0आई0जी-35, सेक्टर-4, गांयत्री फैसी स्टोर के सामने, दीनदयाल उपाध्याय नगर, डगनिया रायपुर, ४०८० पिन.कोड 492010	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर	अनारक्षित महिला
2	रेखा गुप्ता, द्वारा बी०पी०गुप्ता, शांति नगर, जीरो रोड भिलाई, जिला-दुर्ग, ४०८० पिन०कोड490023	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौडीलोहारा जिला-बालोद	अनारक्षित महिला
3	प्रतिभा शर्मा, डी/२०, विद्या नगर, शिव मंदिर के पास, बिलासपुर, ४०८०,पिंकोड. 495004	शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महावि. जांजगीर, जिला-जांजगीर	अनारक्षित महिला
4	रश्मि परिहार, द्वारा श्री आर०एस०परिहार, म०क०७६०, शासकीय हाई स्कूल के पास कोसा कारखाना रोड, कोनी, बिलासपुर ४०८० पिंकोड 495009	शास. शासकीय इ. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. बिलासपुर जिला-बिलासपुर	अनारक्षित महिला
5	डॉ स्वेतलाला नागल, ५७, शिवाश्रय, शक्तीनगर, मकरोनीया, सागर, ४०८० पिंकोड 470004	शास० माता कर्मा, कन्या महाविद्यालय महासमुद्र	अनारक्षित महिला
6	दीपक कुमार देवांगन, नयागंज, कोस्टा पारा, गुरु नानक स्कूल के पास, रायगढ़ ४०८० पिंकोड 496001	शासकीय कलिन्द सिंह महाविद्यालय अंतागढ़, जिला-कांकेर	अनारक्षित

अनुक्रमीका	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
7	कुठ नीतू वासूले, द्वारा श्री रामकृष्ण वासूले मणीपुर स्कूल के पीछे भट्टापारा म0न0 136, वार्ड क0 39, अंबिकापुर, सरगुजा ४००५० पि०कोड 497001	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर,	अनारक्षित महिला
8	प्रीति मेहता, पुराना बस स्टेप्प, नेपाल लाज के पास, अंबिकापुर, सरगुजा, ४००५०, पि०कोड 497001	शास. शासकीय शिवनाथ यादव तामस्कर पी. जी. कला विज्ञान महावि. दुर्ग, जिला-दुर्ग	अनारक्षित महिला
9	ऋचा द्विवेदी, ४/६४, देवेन्द्र नगर, बिजली आफिस के पास अमेरी रोड नेहल नगर, बिलासपुर, ४००५० पि०कोड 495001	शास. आचार्य गन्धमुनि नाम साहब, पी०जी० महाविद्यालय कवधार	अनारक्षित महिला
10	जयश्री साहू ८/१, श्री रामकॉलोनी, मोतीपुर, राजनांदगांव, ४००५० पि०कोड 491441	शास. दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल, जिला-कोणडागांव	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	सर्विन कुमार चंद्राकर, ७१ अरिहन्त नगर, टोयटा शोरूम के पास, रिंग रोड झूमरतालाब रायपुर, ४००५०	शास. शहीद दैकटराब, महाविद्यालय, बीजापुर, जिला-बीजापुर	अन्य पिछड़ा वर्ग

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

शर्यालय प्राचार्य, आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा  
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

Email ID- [govtpgcollege.kawardha@gmail.com](mailto:govtpgcollege.kawardha@gmail.com), फोन नं. 07741.232496

क्रमांक / राजस्थापना / 2017

कवर्धा, दिनांक / 09 / 2017

प्रति,

संयुक्त सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना बाबत् ।

::::000:::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश क्रमांक ०६५-  
१-३४ / २०१७ / ३८-१ नया रायपुर दिनांक 29.08.2017 के परिपालन में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त श्रीमती  
मंजूदेवी कोचे पति श्री विनोज कुमार कोचे, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) द्वारा आ.पं.श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में आज दिनांक 08.09.2017 को अपराह्न में अपने पद पर  
कार्यभार ग्रहण कर ली है ।

सादर सूचनार्थ

*8d*

प्राचार्य,

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा  
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / ८५४ / राजस्थापना / 2017

प्रतिलिपि:

कवर्धा दिनांक ८ / 09 / 2017

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार, छ.ग., रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर ।
7. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय बिलासपुर का सादर सूचनार्थ ।
8. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय, अधिकारी कबीरधाम को सादर सूचनार्थ ।
10. श्रीमती मंजूदेवी कोचे, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) आ.पं.श्री गृ.मु. नाम साहेब शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा ।
11. रथापना / लेखा शाखा आ.पं.श्री गृ.मु. नाम साहेब शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा ।
12. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

*DR. AMAN*  
ak प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा  
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

*Principal*  
A.P.G.M.N.S. Govt. P.G.  
College Kawardha (C.G.)

96446073064

प्रति,

प्रान्तार्थ

शास्त्र डा० पंचाश्री गन्ध मुनि नाम साहब  
पी० ए० भी० महाविद्यालय, कवर्पा।



विषय:-  
खंडन:-

कानूनिक-ग्रहण करने वाला ।  
हस्तांतरण वासन उच्च शिक्षा विभाग में अधिकारी भर्ती अवधि  
नया रायपुर का आदेश अमांज सफ १-३४/२०१७/३८-१ नया  
रायपुर दिनांक २९/०८/२०१७।

भृष्टदेव पर्व,

उपरोक्त विधायांतर्जनि संहार्मन आदेश में मेरी नियुक्ति  
संसद्युक्त प्राध्यापक (हिन्दी) पद पर छिया गया है। यिसके परिणाम  
में मेरे द्वारा प्रिया भृष्टदेव वेदि से स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त-  
समस्त हस्तांतरणों की व्याप्रति प्रकृति करते हुए आप  
दिनांक ०८.०९.२०१७ अपरान्त को संसद्युक्त प्राध्यापक विषय  
हिन्दी- पद पर कानूनिक ग्रहण कर रहे हैं।

कानूनिक ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करते हुए मुझे  
भृष्टदेव की अनुमति प्रदान करने की अनुमति प्रदान करते हुए।

खंडन:- अधिकारी इवं अन्य आवश्यक हस्तांतरणों की लिख-  
स्वयंप्रिय छपापार्ति  
वी० चट्टवेशी-

स्वापनारावा

8/9/17

दिनांक

०८.०९.२०१७

श्रीमती मंजुरुदेवी कांते  
स्वयंप्रिय प्राध्यापक (हिन्दी)

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

— — —  
**:: आदेश ::**

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

अमांक एफ 1-34/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र अमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक ( हिन्दी ) के पद उंतु मुख्य सूची से अनुशरित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक ( हिन्दी ) के पद पर वेतन ठेड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम ( Provisional ) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंग आ श्री रामाश्रम सिंह ग्राम रमिलिया पो रारेया नं. 1 थाना - चौलापुर जिला-वाराणसी उ.प्र. 221101	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर जिला बलरामपुर	UR
2	श्री कमल सिन्हा आ श्री यशवत बिन्हा कलबपारा वार्ड 26 नहर कांसिंग के वास महारामुद छ.ग. 493445	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	OBC /UR
3	अर्पणा गौतम आ श्री एस.एस.गौतम एस.इ.सी.एल. आफिस के सामने गणपति कार गैरेज के पास सीपत रोड सरकण्डा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय ई. राधवेन्द्र राव रनातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	OBC /UR-F
4	श्री सनत कुमार आ स्व श्री रामा देवागन, ग्राम पो सल्का नवागांव थाना कोटा, जिला बिलासपुर छ.ग. 495113	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा	UR
5	श्री राजीव यादव आ श्री दशरथ यादव क्वा. 345ई ब्रह्मपुत्र छात्रावास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 110067	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर	UR
6	नर्मता पाण्डेय आ श्री प्रवीण पाण्डेय अशोक नगर सत्या मेडिकल स्टोर के सामने गली विरकोना रोड सरकण्डा बिलासपुर 495001	शासकीय बिलासा कन्या रनातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	UR-F
7	प्रतीमा सिंह आ श्री राम सुहावन सेंह पटेलनगर चौराहा रक्षपालपुर खखरेरू फतेहपुर उ.प्र. 212656	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाङ्फनगर	UR-F
8	श्री दिनेश कुमार सजय आ स्व श्री गंगाराम संजय, मु.पो. विखली थाना ताम्पुसोर जिला रायगढ़ छ.ग. 496100	शास महावि.खरसिया	SC /UR
9	श्री विनय कुमार देवागन आ श्री वादूराम देवागन मक 6 वार्ड लोगरीपारा श्रीहनुमान मंदिर कोण्डागांव छ.ग. 494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव	OBC /UR
10	पायल लिलहारे पति श्री श्याम मोहन पटेल, 398/4 बजरंग कॉटोनी रेल्वे स्टेशन के पास जवलपुर म.प्र.482001	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ	UR-F
11	विजय लक्ष्मी गोड पति श्री विजेनी विक्रम सिंह द्वारा श्री अश्विनी ठकराल मोहल्ला कानून गोयान निकट साईमंदिर अमरोहा उ.प्र. 244221	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR-F

45

43	श्री मनोहर लाल मारकण्डे आ रव श्री कलीराम मारकण्डे ग्राम पो दहदहा खाया तह.कुरुद जिला-धमतरी छ.ग. 493663	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर	SC
44	श्रीमती मंगली बंजारा पति श्री राजेन्द्र कुमार बंजारा,ग्राम पो कोदता(बाई) खाया तह.जिला-मुगेली छ.ग. 495334	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़ जिला बेगेतरा	SC-F
45	श्रीमती पूनम कोरी पति श्री दिनेश कुमार कोरी ग्राम रमतला पे सेन्दरी थाना कोनी जिला-बिलासपुर छ.ग. 495009	शासकीय महाविद्यालय, मालखरौदा	SC-F
46	श्री बलदारु राम भेड़िया आ श्री राम भेड़िया ग्राम पो कोचवाय, थाना तह.जिला गरियाबंद छ.ग. 493889	शासकीय महाविद्यालय, बगीचा	ST
47	श्रीमती मंजूदेवी कोचे पति श्री विनोज कुमार कोचे शांतिनगर वार्ड १ स/लोहारा तह. स/लोहारा जिला कर्बीरधाम छ.ग. 491995	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कर्वांडा	SC-F
48	श्रीमती बंदना रानी खाखा पति श्री प्रबोध कुमार खाखा मकान नं. सी१.सी२ बालाजीपुरम कॉलोनी वसत बिहार के पास लिंगियाडीह बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.महा. मरवाही जिला बिलासपुर	ST-F
49	राजश्री भारद्वाज आ श्री फिरतालाल भारद्वाज ग्राम ध्रुवाकारी पो.थाना पचपेडी तह. मस्तुरी.जिला-बिलासपुर 495551	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय , तिल्दा-नेवरा कोहका	SC-F-O
50	श्री कमलेश कुमार मार्को आ श्री शिवप्रसाद मार्को ग्राम पो. अमरपुर थाना तः.पेण्डा, जिला-बिलासपुर छ.ग. 495119	नवीन शासकीय महाविद्यालय, डुमरिया (जरही)	ST
51	पूर्णिमा सूर्यवर्षी आ श्री गगेशाम सूर्यवर्षी एचआईजी।। डी/ डी१३६ हसदेव विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जांजजीर जिला-जांजगीरचांपा छ.ग. 495668	शास.महा. उदयपुर जिला सरगुजा	SC-F-O
52	श्री वृहस्पतु सिंह विशाल आ श्री प्रह्लाद विशाल ग्राम मुरुमडीह, पो. रायतुम तह.कसडोल जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493551	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल	ST
53	श्रीमती कमला वाई दिवान पी.श्री मोहनलाल दीवान ग्राम खुरशुला पो.पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493338	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला महासमुन्द	ST-F
54	श्री दिनेश प्रताप सिंह पैकरा आ श्री रायसिंह पैकरा ग्राम व्रम्हनी पो.हरौद बाजार थाना तह. कसडोल जिला- बलौदाबाजार छ.ग. 493335	शास. मयूरध्वज महादानी राजा पी.जी.महा.चांपा,जिला जांजगीरचांपा	ST
55	श्री अनुपम सुमित तिर्की आ स्व. श्री पी तिर्की आ. क.३७ वार्ड ८ सिररा रोड वॉटनी चौक कोहका दुर्ग छ.ग.490023	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	ST
56	श्री ताम्रध्वज साय पैकरा आ श्री रागदयाल पैकरा c/o श्री सुरेन्द्र साय पैकरा मरिजदपारा धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ छ.ग. 496116	शासकीय पालूराम धनलिया स्नातकोत्तर महा. रायगढ़	ST
57	श्री अनिल कुमार नेताम आ श्री सुरेश कुमार ध्रुव वार्ड ४ इंदिरा कालोनी बलौदाबाजार छ.ग. 493332	शास.महा. खरौद जिला जांजगीर	ST

लय प्राचार्य, आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा  
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

Email ID- [govtpgcollege.kawardha@gmail.com](mailto:govtpgcollege.kawardha@gmail.com), फोन नं. 07741.232496

कवर्धा, दिनांक

/09/2017

क्रमांक / राजस्थापना / 2017

प्रति.

अवर सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना बाबत ।

::000::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-  
1-26/2017/38-1 नया रायपुर दिनांक 29.08.2017 के परिपालन में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त श्री  
चंदन गोस्वामी आत्मज श्री पन्नालाल गोस्वामी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) द्वारा आ.पं.श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में आज दिनांक 21.09.2017 को पूर्वान्हि में अपने  
पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

सादर सूचनार्थ

3d  
प्राचार्य,

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा  
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कवर्धा दिनांक 25/09/2017

क्रमांक / 935 / राजस्थापना / 2017

प्रतिलिपि:

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को सादर  
सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार, छ.ग., रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्ड्रावती भवन नया रायपुर ।
6. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय बिलासपुर का सादर सूचनार्थ ।
7. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ ।
8. जिला कोषालय, अधिकारी कबीरधाम को सादर सूचनार्थ ।
9. श्री चंदन गोस्वामी आ.श्री पन्नालाल गोस्वामी सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) आ.पं.श्री गृ.मु. नाम साहेब शास.
10. स्थापना / लेखा शाखा आ.पं.श्री गृ.मु. नाम साहेब शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा ।
11. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

Pranay  
प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब (C.G)  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा  
Pranay जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**  
 — — —  
**आदेश :**  
**नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017**

क्रमांक एफ 1-26/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1035/22/चयन/2017/जे. दिनांक 30.07.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री आशीष कुमार मिश्र आ.श्री वेदमणी मिश्र, ग्राम-विहरोजपुर, पो.-तिलंग,थाना गोपीगंज जिला- सतं रविदास नगर भद्रोही उ.प्र. 221303	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलफिली	UR
2	तामश्वरी साहू आ.श्री सरजुराम साहू ग्राम-आगेसरा,पो.अरकार तह. पाटन,झार्खांड-सिकोसा,जिला- दुर्ग छ.ग. 491222	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC/ UR-F
3	डॉ सुरेश कुमार पटेल आ.श्री द्वारिका प्रसाद पटेल, C/o बलीराम पटेल,ग्राम वडी कोनी पं, -एमआई टीआई,कोनी बिलासपुर 495009	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तपकरा	OBC/ UR
4	श्री योगेन्द्र कुमार आ.श्री गुलाब चंद्र,ग्राम पो घुरेटनपुर,जिला- चित्रकुट,उ.प्र. 210202	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR
5	श्री विशाल सिंह आ.श्री चन्द्रभान सिंह, 61 डी/ 6 इ/1 ओम गायत्री नगर, तेलीयरगज इलाहाबाद उ.प्र. 211004	शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम	UR
6	श्री विवेक कुमार जायसवाल आ. श्री राजेन्द्र प्रसाद C/O राकेश रावत, 1111/1283 पिपलवाली गली पुराना कटरा इलाहाबाद उ.प्र. 211002	शासकीय स्व. श्री महली भगत महाविद्यालय, कुसमी	UR
7	श्री नीलाम्बर पटेल आ. श्री काशीराम पटेल, आर्यभट्ट शांडिल्य निवारा हेमन्त ज्वेलरी के सामने मरिजद रोड कोटा, रायपुर छ.ग.492010	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	OBC/ UR
8	श्री ओम प्रकाश बघेल आ. श्री भोकोराम बघेल, ग्राम-रसौटा पो.कोसगंदी, थाना तह.-पलारी, जिला-बलौदाबादजार छ.ग.493228	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	SC/ UR
9	श्रीमा पति श्री रितेश गिरा,एल 256 रोडटर-2 प.दिनदयाल उपाध्याय नगर पारस कस्टक्षण के पास रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिंगाग	UR-F

		शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा	OBC/ UR
10	श्री विनीत कुगर आ. श्री महेन्द्र कुगर राहु ग्राम बेरलाकला, पो. गुदेली, तह. वेरला, जिला- वेमतरा छ.ग. 490036	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी	UR-F
11	रुबी सिंह आ. श्री नरेन्द्र कुगर सिंह, म.न. 149 मवैया, हरडोपत्ती झानपुर एसआरएन भदोही, उ.प्र. 221304	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर	UR-F
12	श्रीमती मीरा गुप्ता पति श्री दिलीप गुप्ता व्यान. डी/2 वैंक आफ इंडिया के बगल में गुरुधारीदास विश्वविद्यालय आवासीय परिसर कोनी बिलारापुर छ.ग. 495009	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	SC/ UR-F
13	श्रीमती शकुन्तला कोसरिया पति श्री दीपक कुमार देशलहरे पंचग अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय अंविकापुर सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय डॉ. भंवर सिंह पोर्ट महाविद्यालय, पेन्ड्रा	UR-F
14	श्रुति जायसवाल आ. श्री प्रकाश नारायण गुप्ता, केयर पब्लिक स्कूल के पास कानूनांगोपुरा उत्तरी 631/ए बहराईच उ.प्र. 271801	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगाव	ST /UR
15	श्री जागेश्वर कुगर भगत आ. श्री रामनाथ रामभगत C/O श्री आर सी पटेल हाईस्कूल के सामने विदुर भवन के पास लैलूगा रायगढ़ 496113	शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय, कटघोरा	ST/ UR
16	श्री श्यामा चरण नेताम आ. श्री पुस्त राम नेताम, कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी फिंगेश्वर जिला गरियाबांद छ.ग.	शासकीय महाविद्यालय बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार	SC
17	श्री चन्द्रकांत जलहरे आ. श्री दिलीप कुमार जलहरे ग्राम- अछोली, पो. कोसमंदी, तह. पलारी जिला- बलौदाबाजार छ.ग. 493228	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कर्वाचौर	SC
18	श्री चंदन गोस्वामी आ. श्री पन्नालाल गोस्वामी, म.न. ए/33 विद्युत नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	SC-F
19	कैलाशा टाईगर पति श्री रातोष कुमार शुर्यवर्णी, ग्राम.पो.- विरकोना थाना -कोनी, विलासपुर छ.ग. 495009	शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय, रायगढ़	ST-F
20	अनुपमा टोपो पति श्री प्रवीण कुमार C/O जार्ज खाखा गुरु घारीदारा मंदिर के पास डीपू पारा तारबहार विलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	SC-F
21	वित्ता खोटे पिता श्री हिमत लाल खोटे, ग्राम पो. -छानपैरी विकास खंड अभनपुर, थाना- मुजगहन जिला- रायपुर 493661	शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़	OBC
22	श्री प्रभा शक्त यादव आ.स्व. श्री मुनूराम यादव, ग्राम-ठनगन, पो. खोन्धर तह. थाना- डंगरा, जिला- जांजगीर - चांपा छ.ग. 495688	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तोवाडा	ST
23	श्री पीरी सिंह ठाकुर आ. रव श्री होरीलाल ठाकुर वाड नं. 14 वस्ती पो. वि. सरायपाली जिला- महासमुद्र छ.ग. 493558	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,	

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर

--o--  
:: आदेश ::


नवा रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एक 1-34/2017/38-1 : राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 द्वारा ब्रेष्ट सहायक प्राध्यापक ( हिन्दी ) के पद क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 द्वारा ब्रेष्ट सहायक प्राध्यापक ( हिन्दी ) के पद लेते तुम्हें सूची से अनुशंसित अन्यथा को पुलिस द्वारा उनके बरित्र रात्यापन की प्रत्याशा में सहायक हेतु तुम्हें सूची से अनुशंसित अन्यथा को पुलिस द्वारा उनके बरित्र रात्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक ( हिन्दी ) के पद पर देतन वैड रुपये 15600-39100 + ग्रेड देतन रुपये 6000/- में उनके प्राध्यापक ( हिन्दी ) के पद पर देतन वैड रुपये 15600-39100 + ग्रेड देतन रुपये 6000/- में उनके लाइसेंस और लाइसेंस के दिनांक से 02 वर्ष की कालायदि की परिवीक्षा पर अनन्तिम लाइसेंस और लाइसेंस के दिनांक से 02 वर्ष की कालायदि की परिवीक्षा पर अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अन्यथा का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना व्यवहा का नाम	चयन रिमार्क
	2	3	4
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह आ श्री रामाश्रम सिंह शाम रमेतिया पो सरेणा नं. 1 थाना - चोलापुर जिला-वाराणसी उ.प्र. 221101	शासकीय नहाविद्यालय, राजपुर जिला बलरामपुर	UR
2	श्री कमल रिन्हा आ श्री यशवंत सिंह कलधपारा वार्ड 26 नहर कासिम के बास महारामुद छ.ग. 433445	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	OBC /UR
3	अर्पण गौतम आ श्री एस.एस.गौतम एस.इ.सी.एल. अफिस के लामने गणपति कार गैरेज के पास सीपट रोड तरकणा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय इ. विद्यवेन्द्र राव रनातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	OBC /UR-F
4	श्री सचत कुमार आ ख श्री राम देवांगन, ग्राम पो सह्यो नवागांव थाना कोटा, जिला बिलासपुर छ.ग. 495113	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्केदारा	UR
5	श्री राजोव यादव आ श्री दशरथ यादव क्षा. 345ई ब्रह्मपुत्र छात्रावास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 110067	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर	UR
6	नवंता पाण्डेय आ श्री प्रवीष पाण्डेय अशोक नगर सत्या मैडिकल स्टोर के सामने गली: विक्रीना रोड तरकणा बिलासपुर 495001	शासकीय बिलासा कन्या रनातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	UR-F
7	प्रतीमा सिंह आ श्री राम सुहावन सिंह पटेलनगर चोराहा रायपुर खखरेल फतेहपुर उ.प्र. 212656	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, लालुफनगर	UR-F
8	श्री दिनेश कुमार संजय आ ख श्री गंगाराम संजय, मुपो. चिखली थाना तह पुसोर जिला रायगढ़ छ.ग. 496100	शास.महावि.खरसेथा	SC /UR
9	श्री विनय कुमार देवागन आ श्री कोदूराम देवागन म.क्र.6 वार्ड डोगरीपारा श्रीहनुमान मंदिर कोण्डागांव छ.ग. 494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव	OBC /UR
10	पायल लिलहार पति श्री श्याम मोहन पटेल, ३६८/४ बजरंग कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के पास जवलपुर उ.प्र. 432001	शासकीय लोधन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़	UR-F
11	विजय लक्ष्मी गोड पति, श्री विजेत्री विक्रम सिंह द्वारा श्री अश्विर्णी ठकराल मोहल्ला कानून गोथान निकट साईमंदिर आगराहा उ.प्र. 244221	शासकीय स्त्रांगी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR-F

४५

27	श्री नंदकिशोर प्रधान आ श्री प्रेमलाल प्रधान ग्राम सेमलिया पो.तोरेसिंहा तह.सरायपाली जिला नहासमुद छ.ग. 493558	शासकीय रव. श्री जयदेव सतपथी महाविद्यालय, बसना	OBC /UR
28	श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल आ श्री छंदीलाल पटेल ग्राम पटुआ पो.बेलवार जनपद जौनपुर उ.प्र. 2223201	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर	UR
29	श्री रजनीश कुमार यादव आ श्री श्रीनाथ सिंह यादव क्षा.न. 239 ईएंक्सई ब्रह्मपुत्र छात्रावास जवाहरलाल नेहरू पि.वि.नई दिल्ली 110067	शासकीय इन्द्रा गांधी महाविद्यालय पंडरिया	UR
30	श्री गोविधन प्रसाद सूर्यवंशी आ श्री घासीराम सूर्यवंशी वाडे क. 18 आई.बी.रेस्ट हाउस के पास जाजगीर जिला-जाजगीर चांपा छ.ग. 495668	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बतौली	SC
31	श्री युगल किशोर पटेल आ श्री विष्णु प्रसाद पटेल, ग्राम गिंदोला पो.लाहोद वि.ख.जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493526	शासकीय धीर सुरेन्द्र साय मंहाविद्यालय, गरियापद	OBC
32	कुसुन लता प्रजापति पति श्री हरीश कुमार प्रजापति ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर पो.रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ.ग. 497333	शासकीय कालीदास महाविद्यालय, प्रलापपुर	OBC -F
33	श्री ओकार प्रसाद साहु आ रव श्री केशवराम साहु आदर्श नगर वाडे 30 महासमुद छ.ग. 493445	शास.महा. सोनहत	OBC
34	श्रीमती हेनपुष्पा नायक पति श्री नवनीत नायक मन. 8 गुरु विहार कॉलोनी मुकितधाम चौक के पास नया सरकंडा,बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	OBC-F
35	श्री गावरकर कौशिक आ श्री रामवतार झाम महाराठोला नयासारा,पो. महराजपुर तह.कवर्धा जिला-कवौरधाम छ.ग. 491995	शासकीय राहीद बापूराव महाविद्यालय सुकमा	OBC
36	श्री शिट्कुमार दुबे आ श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, मोहलाइन भाठा, कटघोरा जिला-कोरवा छ.ग. 495445	शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार	UR-OH
37	श्रीमती प्रतीना चन्द्राकर पति श्री राजेश कुमार चन्द्राकर ग्राम पो मुनगासेर तह.वागबहरा जिला-महासमुद छ.ग. 493449	शासकीय चन्द्रपाल महाविद्यालय, पिथौरा	OBC-F
38	श्री उग्रेन कुमार साहु आ श्री लक्ष्मण प्रसाद ग्राम कोलिहा पो. चक्रभाटा,तह.जिला-मुगेली छ.ग. 495334	नवीन शासकीय महाविद्यालय, भैरमगढ़	OBC
39	श्री नरेन्द्र कुमार कुलमित्र आ श्री गणेश प्रसाद कुलमित्र जयाहर नवोदय विद्यालय छिंदेपाली पो. चट्टीगिरोला(सराइपाली) जिला मठासगुंद छ.ग. 493568	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कर्दारा	OBC
40	श्री धर्मन्द्र कुमार पाटनवार आ श्री मुन्ना लाल पाटनवार ग्राम दिट्कुला पो. सोडी छाया बलौदा जिला बिलासपुर छ.ग. 495559	शास.महा. भोपालपट्टम जिला वीजापुर	OBC
41	श्री धर्मन्द्र प्रताप सिंह आ श्री भाव सिंह ग्राम-दामापुर पो.विल्फी बंगला,तह.पंडरिया छाया लोरमी जिला-मुगेली छ.ग. 495115	शासकीय कदमा धुरघा महाविद्यालय, छुरा	SC
42	श्री शिव कुमार वंजारे आ श्री भारत लाल वंजारे मु.पो. मेरु,तह.पामगढ़ जिला-जाजगीर चांपा छ.ग. 495554	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जाजगीर	SC



प्रति,

प्राचार्य

शास.आचार्य पंथ श्री गंधमुनि नाम साहब  
पी.जी. महाविद्यालय,कर्वधा,जिला-कबीरधाम ((छ.ग.))

विषय:- सहायक प्राध्यापक,हिन्दी पद पर कार्यभार ग्रहण करने विषयक् ।

--00--

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, नया रायपुर द्वारा दिनांक 29.08.2017 को जारी आदेश क्रमांक एफ 1-34/2017/38-1 द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त आदेश के परिपालन में मुझे आज दिनांक 27.9.17 को सहायक प्राध्यापक हिन्दी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें।सधन्यवाद।

दिनांक-27.9.17 11:00 AM

प्रविद्ध  
27/09/17

सामग्री

भवदीय

27/09/17  
नरेन्द्र कुमार कुलमेत्र  
राजमहल कलोनी कर्वधा  
जिला-कबीरधाम(छ.ग.)  
मोबा. 7987817177

Dkam  
27/9/17.

छत्तीसगढ़ शासन्  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

— — —  
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 25/09/2014

क्रमांक/५२०५ /३३४२/२०१२/३८-१ : राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक २१५१/९५/२०१०/१३/चयन दिनांक १०.०९.२०१२ के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक १०४६/९५/२०१०/चयन, दिनांक २२/०३/२०१४ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, विलासपुर द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर सहायक प्राध्यापक (गणित) के पद हेतु जारी लंशोधित चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित आमर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा गें सहायक प्राध्यापक (गणित) के पद पर वेतन दैड रुपये १५६००-३९१०० + अकादमिक ग्रेड वेतन रुपये ६०००/- में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ०२ वर्ष की कालावधि की परिदीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त करता है :-

क्र.	संशोधित चयन सूची संक्र.	आमर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	15	श्री सुनील कुमार गुप्ता, पिता- रव. श्री हीरालाल गुप्ता वर्तमान पता- द्वारा श्री शिव शंकर श्रीवास्तव, रिंग रोड, नमना कला, अंदिकापुर, जिला-सरगुजा	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	अनारक्षित
2	16	श्री त्रिलोकीनाथ सेठ, पिता- श्री ओम प्रकाश सेठ, वर्तमान पता- प्लॉट नं. ४५४, नहर कोनिया के पास, पां.-सारनाथ, द्वारा-कोनिया, वाराणसी (उ.प्र.)	शास रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाङ्कनगर, जिला वलरामपुर	अनारक्षित
3	17	श्री लोकेश कुमार सतपथी, पिता- श्री चैतन सतपथी, वर्तमान पता- पल्लवी विहार कॉलोनी, श्री हनुमान मंदिर के पास, रोहिणीपुरम, रायपुर	शासकीय महाप्रभु बल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द, जिला महासमुन्द	अनारक्षित
4	18	डॉ. शैलेशधर दीवान, पिता- श्री श्यामधर दीवान, वर्तमान पता- दीवान भवन, मठपारा, रायपुर	संत गुरु धासीदास शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला धमतरी	अनारक्षित
5	19	श्री सुरेन्द्र कुमार मेहर, पिता -श्री के.आर. मेहर, वर्तमान पता- द्वारा-आर.के. चक्रवर्ती, म.नं.-६४९, रिंधिया नगर, दुर्ग	शास. आचार्य पंथ श्री गंधमुनी नाम साहब पी. जी. महाविद्यालय कवर्धा, जिला कवीरधाम	अनारक्षित
6	20	श्री यशवंत दास वैष्णव, पिता- श्री निर्मल दास वैष्णव, वर्तमान पता- जोरापारा गली नं.-२, नया सरकण्डा, विलासपुर	शास. महाविद्यालय भखारा, जिला धमतरी	अनारक्षित

निरंतर ... 2

प्राचीन,

प्राचीन,

शासकीय आचार्य पंथ की गंधनुगति संस्थान  
मी.जी. महाविद्यालय कवर्धी,  
जिला - कबीरधाम(छग.)

संख. - छग. ३८५३१४ विभाग कोडश ५२०५/३३४२/२०१२/  
३८-१, दिनांक २५/९/१४ ।

विषय - सहयुक्त प्राचीन (वार्षिक) पदभार ग्रहण करने वाला।

संलेख,

निवेदन है कि मैं सुरेन्द्र कुमार मेहरा,

पिंड - श्री के.आर. मेहरा, छग. ३८५३१४ विभाग के

अधिकारी आपके महाविद्यालय में छाज दिनों ०१/१०/१४

प्रवाल अधिकारी ॥ बजे, सहयुक्त प्राचीन (वार्षिक) के पद  
पर कार्यभार ग्रहण कर रहे हूँ।

संलेखन प्रमाण पत्र - नियुक्ति कोडश की वाचासनी हीर समाजपरिषद्  
के अंतर्गत केंद्र प्रमाण पत्र, जातिरूपांग, नेत्रिका शास्त्र, रायचूपुर,

(विवरण)

दिनांक - ०१/१०/१४

श्री लालकृष्ण

1/10/2014

PRINCIPAL  
APSGMNS Govt.P.G.  
College Kawardha  
DISTT.-KABIRDHAM

नवदीप

S. S. S.  
(सुरेन्द्र कुमार मेहरा)

# कार्यालय प्राचार्य

शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर  
जिला - बस्तर (छ0ग0)

Phone-07782-229340,

Fax -07782-229340,

Email-kpgcjdp@gmail.com

क्रमांक/ ८९१ /स्था./2014

जगदलपुर, दिनांक १६./१२./२०१४

प्रति.

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
छ.ग. शासन, रायपुर।

विषय : कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन।

संदर्भ : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ १-२३/२०१४/३८-१ नया रायपुर  
दिनांक १७.११.२०१४।

ले ७६

उपरोक्त संदर्भित आदेश के अनुसार श्री अनिल कुमार शर्मा की नियुक्ति सहायक प्राध्यापक  
सूचना प्रौद्योगिकी में करते हुए पदस्थापना शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में की  
गई है। आदेश परिपालन में उन्होंने दिनांक १५.१२.२०१४ को पूर्वान्ह में अपने कार्य पर उपस्थित हुए है।  
कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्राचार्य  
शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
जगदलपुर

पृ.क्रमांक/ ८९२ /स्था./2014

जगदलपुर, दिनांक १६./१२./२०१४

प्रतिलिपि :

- उप सचिव, उच्च शिक्षा मंत्रालय छ.ग. शासन महानदी भवन, नया रायपुर, छ.ग।
- महालेखाकार, छ.ग. जीरो पाईन्ट विधानसभा रोड, रायपुर।
- अपर संचालक, उच्च शिक्षा (राजपत्रित शाखा) उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. शासन  
नया रायपुर।
- क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बस्तर संभाग, जगदलपुर।
- जिला कोषालय अधिकारी, जगदलपुर।
- स्थापना/वेतन देयक कक्ष प्रभारी, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
जगदलपुर।
- श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी शासकीय ए॥ जी  
महाविद्यालय, जगदलपुर।
- व्यक्तिगत नस्ती।

प्राचार्य  
शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
जगदलपुर



प्राचार्य  
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
जगदलपुर

सहायक प्राध्यापक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु।

विषय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-1-23/2014/38-1

मार्गदर्शक : दिनांक 17.11.2014.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित आदेशानुसार मेरा चयन सहायक प्राध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी के पद पर की जा कर पदस्थापना शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में किये जाने के फलस्वरूप मैं आज दिनांक 15.12.2014 पूर्वान्ह को अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो~~सका~~ हूँ।

प्रतिवेदन सूचनार्थ सम्प्रेषित।

- संलग्न :
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंकसूची की छायाप्रति।
  - नियुक्ति आदेश की प्रति।
  - शपथ पत्र।
  - मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

H.C.  
मान्यता प्राप्त करने का इच्छा  
रुद्धीति द्वारा संकलित जीवन का  
मिलान करने के लिए उत्तिवेश  
3. ई-को उत्तिवेश  
उत्तिवेश  
जीवन का  
अनिल कुमार शर्मा

मवदीय

Ashwani

अनिल कुमार शर्मा  
सहायक प्राध्यापक, सूचना प्रौद्योगिकी  
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

— — —  
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 17/11/2014

क्रमांक एक 1-23/2014/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1557/95/2010/ चयन दिनांक 16.10.2014 द्वारा सहायक प्राध्यापक (सूचना प्रौद्योगिकी) के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके घरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर वैतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वैतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	3	4	5
1	श्री सुशील कुमार केश्यप, ग्राम पारट प्रतापपुर जिला सरगुजा 497223	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम स्नाय पी.जी. महाविद्यालय कवर्धा जिला कबीरधाम	पि.वर्ग
2	योगेश्वरी महतो C/o लक्ष्मीनारायण महतो, सेक्टर-1, स्टॉट नं. 3 प्रोफेसर कालोनी रिंग रोड नं.-1 रायपुर छ.ग.	शासकीय ई राधवेन्द्रराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	अनारक्षित
3	श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल, C/o श्री आर.एस.पिल्लई, परशुराम चौक, टेलीफोन इक्सचेंज रोड प्लाट नं. 156 राजकिशोर नगर विलासपुर 495001	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	अनारक्षित
4	श्री अनिल कुमार शर्मा, ग्राम-निनवां, पो. मनोहरा, थाना-धरसोंवा, तह.तिल्डा जिला-रायपुर	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर।	अनारक्षित
5	श्री तरुणधर दीवान, राजेन्द्र नगर तिल्डा, चाल भवत कंवर राम गेट के सामने विलासपुर 495001	शासकीय ई राधवेन्द्रराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	अनारक्षित

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रगाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरात यदि अनुप्रगाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ऊडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्ति अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वारक्ष्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

-- ० --

**:: आदेश ::**

**नया रायपुर, दिनांक 23/07/2016**

क्रमांक एफ 1-21/2016/38-1 :: राज्य शासन, एतद द्वारा, निम्नलिखित सडायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) को स्थानांतरित करते हुये कॉलम नं. 4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थाई रूप से आगमी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है: -

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरण प्रश्नात् पदस्थापना स्थल	रिमार्क
				2
1	मौसमी जांगड़े	शास. माता कर्मा कन्या महा., महासमुन्द	शास. गजानंद अग्रवाल पी.जी. महा., भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार	स्वयं के व्यय पर
2	डॉ. दिल्पि टिकरिहा	शास. महा., नवागढ़, जिला-जांजगीर चांपा	शास. आचार्य गृंधमुनी नाम साहब पी.जी. महा., कवर्धा	स्वयं के व्यय पर
3	श्री संतोष कुमार तांबे	शास. महा., दीपका, जिला-कोरबा	शास. महा., बरपाली, जिला-कोरबा	स्वयं के व्यय पर
4	श्रीमती अनिता पटेल	शास. नवीन महा., मंगचुआ, जिला-बालोद	शास. स्व. राजा विरेन्द्र बहादूर महा., सरायपाली, जिला-महासमुन्द	स्वयं के व्यय पर
5	श्री आर.बी. सोनवानी	शास. महा., जैजैपुर, जिला-जांजगीर चांपा	शास. महा., रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर	प्रशासनिक
6	श्री सत्येन्द्र सिंह गौतम	शास. नवीन महा., दुर्गकोंदल, जिला-कांकर	शास. डॉ. भंवर सिंह पोर्ट महा., पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर	स्वयं के व्यय पर
7	श्री एल.सी. मनवानी	शास. डॉ. भंवर सिंह पोर्ट महा., पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर	शास. नवीन महा., दुर्गकोंदल, जिला-कांकर	प्रशासनिक
8	श्री विनोद जेना	शास. महा., सरोना, जिला-कांकर	शास. नागार्जुन विज्ञान पी. जी. महा., रायपुर	स्वयं के व्यय पर
9	प्रो. सरोज कुमार	शास. कि. पी.जी. महा., रायगढ़	शास. महा., सरोना, जिला-कांकर	प्रशासनिक


2- उक्त आदेश स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17 के तहत जारी की गई है एवं माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

3- स्थानांतरण नीति के अनुरूप जिस अधिकारी/ कर्मचारी का स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है, उन्हें एकजीदार आने के पश्चात् ही कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

4- स्थानांतरण के संबंध में पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजने की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

उक्त शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(डॉ. समरेन्द्र सिंह)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



प्रति.

११६

### प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा  
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

रसायन शास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत्।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-21/2016/38-1 नया रायपुर 23.07.2016 एवं कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा के आदेश क्रमांक 39/स्था./2016 नवागढ़ दिनांक 27.07.2016।

—000—

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर कि आदेश क्रमांक 1-21/2016/38-1 नया रायपुर दिनांक 23.07.2016 द्वारा मेरा स्थानातरण नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर चापा (छ.ग.) से आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा, जिला - कबीरधाम (छ.ग.) में हुआ है। कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 39/स्था./2016 नवागढ़ दिनांक 27.07.2016 को मुझे कार्यमुक्त किया गया है।

अतः मैं डॉ० दीपि टिकरिहा रसायन शास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर दिनांक 28.07.2016 को पूर्वाहन आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा, जिला - कबीरधाम (छ.ग.) में कार्यभार ग्रहण करती हूँ। अतः कार्यभार प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यदाद,

डॉ० दीपि टिकरिहा

पता - सेक्टर -11, जोन-1  
खुर्सीपार सड़क नं. 16 क्वाटर नं. 1/E  
पावर हाऊस भिलाई (छ.ग.) 490011  
मो.नं. 9827965195

Recd

२८/७/१६

शासकीय महाविद्यालय

आवक क्र...८६५

दिनांक....७....९....२०१७

कवर्धा (छ.ग.)

प्रति;


श्री मान् प्राचार्य मलेश,  
आचार्य, श्री गन्धमुनि नाम साहस्र पी.डी. महाविद्यालय कबीरजग्म

विषय:- पदभार ग्रहण करने वाला  
मलेश.

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन हैं कि मैं शुक्रेश कामले  
दलीभगद् शासन उच्च शिक्षा विभाग मंजालय महानगी  
भवन, नवा रामपुर के आदेश क्रमांक टक्के १-२७/२०१७/३४-१  
दिनांक २७/०८/२०१७ छारा सहायत प्राह्णपात्र (समाप्तशास्त्र)  
पद ज्ञाप्ते अधिनस्त शासकीय श्री पंच श्री गन्धमुनि  
नाम साहस्र पी.डी. महाविद्यालय, कवर्धा में पदस्थ हुआ हूँ,

मलेश, उपरोक्त शादेश दे पालन में मैं आप  
दिनांक ७/०९/२०१७ को अपराह्न पदभार ग्रहण करना पाहता,  
कृपया पदभार ग्रहण की स्वीकृति की अनुमति प्रदान  
करने की कृपा करें।

सी.वी.चन्द्रवर्णी  
वापना शास्त्री

  
7/9/17

उत्तर

०९/०९/१७

संलग्न:- ① द.ग. रामन उच्च शिक्षाविभाग  
छारा परी आहेश की दाख प्रति

② अनुप्रमाणन कर्त्ता में दोलन समूह  
दितावेष की दाख प्रति

③ मेडिकल सर्टिफिकेट की मूल प्रति

④ रापन पत्र की मूल प्रति।

प्राप्ति  
~~दिनांक ७/०९/२०१७~~  
शुक्रेश कामल ७/९/१७

सहायत प्राह्णपात्र (समाप्तशास्त्र)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1--27/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1037/22/चयन/17/O दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री सुशील कुमार गुप्ता आ.स्व श्री उमाशक्तरगुप्ता, म.न. 426 वार्ड नं. 2 तुलसीनगर कोरबा छ.ग. 495677	शासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	UR
2	स्नेहा थवायत आ. श्री सत्येन्द्र कुमार चौरसिया, कोआपरेटिव बैंक के पीछे, गांधी चौक जांजगीर, जिला-जांजगीरचांपा छ.ग. 495668	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ नवागढ़ जिला जांजगीर	OBC/ UR-F
3	श्री तिलक चन्द्र देवांगन आ.श्री पूरन सिंह देवांगन, ग्राम-सम्बलपुर, पो.बमनीबाजार जिला कोणडागांव, छ.ग. 494226	शासकीय शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल	OBC/ UR
4	श्री मुकेश कुमार कामले आ.श्री पंचराम कामले, सहायक जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल, जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	SC/ UR
5	श्री तरुण कुमार पदमवार आ.उमेन्द्र सिंह पदमवार, म.क. 868 के शिवशंकर होटल के पीछे महादेवघाट चौक रायपुर छ.ग. 492013	शासकीय महाविद्यालय, धमधा	UR
6	श्री धर्मेन्द्र कन्नीजे आ.श्री.के.एन कन्नीजे, 201 जी रिसाली सेक्टर बिलाई नगर, जिला-दुर्ग. छ.ग. 490006	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	OBC/ UR
7	श्री मधुसूदन सिंह राजपूत आ. श्री जयजयराम राजपूत, ग्राम- सेमरिया, पो.साफल, तह. लोरमी, जिला मुंगेली छ.ग. 495115	शासकीय इन्द्रिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया	UR
8	श्री गीतम कुमार कुरे आ.श्री अनन्तु कुमार कुरे, मु. पो.-विटकुली, छाया, तह. थाना-बिल्हा, जिला विलासपुर छ.ग. 495224	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	SC/ UR
9	श्रीमती निधि सिंह पति श्री अरुण कुमार सिंह, हाउस क. 16 कालीमाई वार्ड, मुंगेली, जिला -मुंगेली छ.ग. 495334	शासकीय राजीवगांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	UR-F

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक

/ अ.व्या. / 2018

कवर्धा, दिनांक 01-09-2018

प्रति,

—:: आदेश ::—

संस्कृत काल्पनिक  
काल्पनिक पाठ, कवर्धा  
कल्पनिक पाठ (6020)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निररत हो जावेगा।

अन्य शर्तें :—

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत ‘लोक सेवक’ नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमांक ..... 2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं के 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
 कवर्धा (C.G.)

पृष्ठांक  
प्रतिलिपि :-

/अ.व्या./ 2018

कवर्धा, दिनांक 01-09-18

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. जायुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष, \_\_\_\_\_ आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01c

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक ६८७ / अ.व्या. / 2018

कवर्धा, दिनांक २४.०७.२०१८

प्रति,

डॉ. भूषण कृष्ण टेव  
काल्पनुद डॉ., कल्पना  
कल्पना (टेव)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन डॉ. कृष्ण टेव विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन रथापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थिति हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

— क्रमांक: .....2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

*JM/28/18*

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा जिला-कवर्धाम (छ.ग.)  
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 07-08-18

पृ.क्रमांक ६०८ /अ.व्या./2018  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष, .....आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

*JM/28/18*

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा जिला-कवर्धाम (छ.ग.)  
कवर्धा

O/c

— श्री गृन्ध मुनि नाम —

कार्यालय प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 684 /अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 21-08-18

प्रति,

कृष्ण कुमार लेखक  
बलाकाम, लोकतान  
(कृष्ण)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन इतिहास विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :—

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय / अद्वेशासकीय / अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित वर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमशः .....2

- 2 -

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

8/11/18  
प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

कवर्धा जिला-कर्वाचार्य (छ.ग.)

कवर्धा, दिनांक 21.10.2018

पृष्ठमांक 685 / अ.व्या. / 2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष, .....आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

8/11/18

आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा जिला-कर्वाचार्य (छ.ग.)

O/L

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक ५७६ /अ.व्या./ 2018

कवर्धा, दिनांक ०६-८-१८

प्रति,

कौटुम्बिक लकड़ा

M.I.C., १/३६, MP. ext.

कौटुम्बिक (C.G.)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपरिथित देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपरिथित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमांक ..... 2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रूपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

५६/८/१८  
प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)  
६/८/२०१८

पृष्ठमांक ५९७ /अ.व्या./ 2018  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष, .....आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

५६/८/१८  
प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)

O/C

कार्यालय प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 779 / अ.व्या. / 2018

कवर्धा, दिनांक 12-09-18

—:: आदेश ::—

प्रति,

कवर्धा जिला  
कबीरधाम, कवर्धा,  
कार्यालय (छ.ग.)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समर्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

**अन्य शर्तें :—**

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमशः .....2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

प्राचार्य  
Principal  
12-09-18

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
A.P.S.G.M.N.S.  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
Government P.G. College  
Kawardha Dist. Ratnagiri (C.G.)  
कवर्धा कवर्धा

पृष्ठमांक ७८० /अ.व्या./ 2018  
प्रतिलिपि :-

कवर्धा, दिनांक 12-09-18

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष, .....आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य  
12-09-18

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
A.P.S.G.M.N.S.  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
Government P.G. College  
Kawardha Dist. Ratnagiri (C.G.)  
कवर्धा

O/C

कार्यालय प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 775 / अ.व्या. / 2018

कवर्धा, दिनांक 12.09.18

प्रति,

—:: आदेश ::—

*Rukmani Gendle  
Mrs. Vidyu Niketan gch.  
Bundhulipur, Sarkanda, Bilaspur*

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन .....उत्तर विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

#### अन्य शर्तः—

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थिति हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमांक: .....2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

प्राचार्य 12.5.18  
Principal  
Government College

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 12.5.18

पृष्ठमांक 776 /अ.व्या./ 2018  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष, .....आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. रथापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य 12.5.18  
Principal

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

८/८

कार्यालय प्राचार्य

आयोग पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय राजातकोत्तर महाविद्यालय,

कवर्धा

जिला-कवीरधाम (छ.ग.)

(अब्द्धणी महाविद्यालय)

क्रमांक 804 /अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 19/09/2018

प्रति,

बिन्दु-पटवंशी

ग्राम+पोष्ट - कुडा

तह- पठिया, जिला कवीरधाम 491519

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का एत्र क्रमांक 1864/243/अन्तर्जि  
व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा  
प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन गें दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि  
नाम साहेब शासकीय राजातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु अपका चयन  
द्वारा निर्णय दिखाग में किया गया है, अतः आपको आनंदित किया  
जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समर्त मूल्य  
प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई<sup>1</sup>  
जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र भाषे जैसे पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरुत्त हो  
जायेगा।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने  
जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने  
जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी  
आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा  
स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त  
गानी जायेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं  
छत्तीसगढ़ स्थिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित  
होगी।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस द्वा  
रा न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य  
शासकीय/ अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी  
और न ही अधिमानित दर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमांक .....2

- २ —
- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन ३००/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अंधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

*Soh* १९.०९.१८

प्राचार्य *Shri P.D. Munshi*  
प्राचार्य *N.S. Govt. PG*  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 19/09/2018

पृष्ठमात्रक ४०५ /अ.व्या./ 2018  
प्रतिलिपि :-

- अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय सत्रापुर (छ.ग) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया सत्रापुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
- जिलाधीश, जिला कवीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
- विभागाध्यक्ष, ~~स्नातकोत्तर~~ आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

*M* १८  
Principal  
*P.D. Munshi N.S. Govt. PG*  
*P.D. Munshi Kawardha (C.G)*

आचार्य पंथ श्री *A.P.D. Munshi* नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

जिला—कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक ७४२ / अ.व्या./ 2018

कवर्धा, दिनांक २६.०७.२०१८

—:: आदेश ::—

प्रति,

किन्तु कृ रौतम  
निर्दिष्ट दृष्टिकोश, राजनीतिक  
(६०२।०)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समर्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

**अन्य शर्तें :-**

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन रथापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था-आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा रथानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमांक: .....2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रूपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

26.7.18

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब  
Principal A.P.S.O.M.A.S.  
शासकीय स्नातक प्रॉफेसर महाविद्यालय,  
Government P.G.College  
Kawardha Dist. Kachchh (C.G.)

कवर्धा, दिनांक 26.7.18

पृष्ठमांक १८ /अ.व्या./2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष, .....आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. रक्षणा शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

26.7.18

प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब  
Principal A.P.S.O.M.A.S.  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
Government P.G.College  
Kawardha Dist. Kachchh (C.G.)  
कवर्धा

O/C

कार्यालय प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक १९० /अ.व्या./ 2018

कवर्धा, दिनांक ३०.७.१८

—:: आदेश ::—

प्रति,

*Sajjad Ahmad Gondal  
Baramulla Kashmir  
CJ 8/K*

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन इतिहास विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समर्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

**अन्य शर्तें :—**

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अद्वशासकीय/ अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमांक .....2

- 2 -

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी।

*80/30-7/18*

प्राचार्य

Principal

आचार्य पंथ *A.P.G.M.N.S. Goot P.G.* साहेब  
शासकीय *College Kawandha (C.G.)* स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

कवर्धा

कवर्धा, दिनांक *30-10-18*

पृ.क्रमांक ९९। /अ.व्या./ 2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
4. विभागाध्यक्ष, .....आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*80/30-7/18*

प्राचार्य

आचार्य पंथ *Principal*  
*A.P.G.M.N.S. Goot P.G.* साहेब  
शासकीय *College Kawandha (C.G.)* महाविद्यालय,  
कवर्धा

0/4

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक 1047 /अ.व्या./2018

कवर्धा, दिनांक 22.7.18

प्रति,

—:: आदेश ::—

श्री दुमीत दुर्गलेखी  
प्री. जी. कॉलेज  
कल्याण (कॉलेज)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन प्री. कॉलेज विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र रवयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत 'लोक सेवक' नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवाये भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमांक: .....2

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी ।

Principai  
A.P.S.C.M.N.S.  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
Government P.G. College  
शासकीय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,  
कार्वार्धा  
कार्वार्धा, दिनांक २२-११-१८

पृष्ठमांक 1048 / अ.व्या./ 2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय मजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष, ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय राजातकोत्तर महाविद्यालय, कार्वार्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. रक्षापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय राजातकोत्तर महाविद्यालय, कार्वार्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Principai  
A.P.S.C.M.N.S.  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
Government P.G. College  
शासकीय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,  
कार्वार्धा

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

क्रमांक ११२/ /अ.व्या./ 2018

कवर्धा, दिनांक ०५-१२-१८

प्रति,

—:: आदेश ::—

..... इवाति पाठ्येत्र  
सर्व रोड तरलतपुर  
जिला - किलालपुर

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर दिनांक 24.07.2018 निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा में अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन ..... लाभिक्षण विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 5 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समर्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

#### अन्य शर्तें :—

- (1) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जायेंगे।
- (2) अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- (3) यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
- (4) इस आशय का शापथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं हैं।
- (5) कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमांक: .....2

- 2 -

- (6) पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (आठ सौ रुपये) तथा प्रतिमाह रु. 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा।
- (7) अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे।
- (8) अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएँ आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेंगी।

*25.12.18*

प्राचार्य

आचार्य पंथ *Principal* मुनि नाम साहेब  
A.P.S.C.M.N.S. College  
शासकीय सातकात्तर (C.G.) महाविद्यालय,  
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक *25.12.18*

पृ.क्रमांक 1121-A / अ.व्या. / 2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
3. जिलाधीश, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
4. विभागाध्यक्ष, .....आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*O/C*

*25.12.18*

प्राचार्य

आचार्य *Principal* मुनि नाम साहेब  
A.P.S.C.M.N.S. College  
शासकीय सातकात्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृह्णा मुनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्वाचौहार  
जिला-कल्पीशाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 883 / स्था. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 14-10-19

- :: आदेश ::-

प्रति,

फैसला लाई  
संवेदना, कर्वाचौहार  
कल्पीशाम (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन ~~मनोविज्ञान~~ विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समर्स्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्त :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत् नहीं है।
5. कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

पत्र क्रमांक ४८४ /स्था. /2019

प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
कवर्धा, दिनांक - 14-10-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. रस्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

O/C

प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
College Kavardha (C.G)

४८३, ४८४

कार्यालय प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृन्था गुणिनांग राष्ट्रीय शासकीय इनात्मोत्तर महाविद्यालय, अवर्धी  
जिला-कर्बीशाह (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 727 / रथा. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 12.9.19

- :: आदेश ::-

प्रति,

कुमार लाल  
बड़े, कामता  
भेजता (दृष्टि)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन ~~करायें~~ विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समर्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

12/09/19  
प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब  
A.P.S. College Kavardha (C.G.)  
शासक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

पत्र क्रमांक 728...../स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 12-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानंदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. रस्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

OK

12/09/19  
प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब  
A.P.S. College Kavardha (C.G.)  
शासक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृह्णा गुणिगाम शासकीय राजातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धी  
जिला-कल्पीश्वाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 729 / रथा. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 12-09-19

- :: आदेश ::-

प्रति,

निर्देश  
मिलाई, दुर्घट  
(५००३०७)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-३ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446 / 243 / आउशि / अ.व्या. / 2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन ~~प्रोत्तिक्रिया~~ विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समर्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी।

D/21/09/19  
प्राचार्य  
A.P.S.C.M.N.S.Govt P.G.  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

पत्र क्रमांक 730 / रथा. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 12-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. रथापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

D/21/09/19  
प्राचार्य  
A.P.S.C.M.N.S.Govt P.G.  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

B/C

कार्यालय प्राचार्य,  
गोन्डा गंगा मनिनाम साहेब शासकीय रसातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धी  
कार्यालय प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृद्धि गुनिनाम साहेब शासकीय रसातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धी  
जिला-कबीरशाम (छ.ग.)  
(अगुणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक २३४ / स्था. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 13.09.19

- :: आदेश ::-

प्रति,

दितेश चंद्राकृते  
कुडा, पटविया  
ठाणीखाम (८०२०)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-३ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन B.G.A. विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

#### अन्य शर्तेः—

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40 / 50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

Prin<sup>ा</sup>charya  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

पत्र क्रमांक 735 / रथा. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 13-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. रथापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Prin<sup>ा</sup>charya  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

01C

कार्यालय प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृन्था गुनिनाम साहेब शासकीय खनातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धी  
जिला-कबीरशाम (छ.ग.)  
(अश्रुणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 743 / रथा. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 16.09.19

- :: आदेश ::-

प्रति,

देखत बाजी  
पुस्तक लड़चकी पाका  
रोड बाड़ी वा. - 13  
कलांग, लक्ष्मीखाम

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446 / 243 / आउशि / अ.व्या. / 2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन ~~प्राचीनकृता~~ विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्त :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

क्रमशः ..... 2

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40 / 50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

माननीय दिनांक  
२५/०९/१९

Principal  
Govt. Post Graduate College  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहब  
शासकीय राजकालीन महाविद्यालय,  
कवर्धा  
Dist. Kharbinanagar, M.P.

पत्र क्रमांक २५४ /स्था. / 2019

कवर्धा, दिनांक - १६-०९-१९

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

२५/०९/१९

Principal  
Govt. Post Graduate College  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
Dist. Kharbinanagar, M.P.

O/C

कार्यालय प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गुण्डा गुणिनाम साहेब शासकीय श्वातंत्रोत्तर महाविद्यालय, कवर्णा  
हिला-कबीरशाम (छ.ग.)  
(अशौषी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 256 /स्था. /2019

कवर्णा, दिनांक - 1. 9. 2019

- :: आदेश ::-

प्रति,

राष्ट्रीय  
पुस्तकालय  
कार्यालय

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयनकालीन प्रिभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण—पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण—पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राच्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत् नहीं है।
5. कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलींग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

प्राचार्य 19/9/19  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
Principal  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
College-Kawardha (C.G.)  
कवर्धा

पत्र क्रमांक ७५२/स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 19-09-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य 19/9/19  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
Principal  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
College-Kawardha (C.G.)  
कवर्धा

O/C

आचार्य पंथ श्री गृह्णा मुनिनाम साहेब शासकीय राजात्मकोत्तर महाविद्यालय, काकडी  
जिला-कलीशमाम (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक ७७० /स्था./ 2019

कवर्धा, दिनांक - २३-७-१९

- :: आदेश ::-

प्रति,

कलोमन लाल (७१४)  
रामलोनी (पुरुष)  
काठलाटरा (ल)  
६०२०

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-३ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन स्थानांतरण विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समर्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाये आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

23.9.11  
प्राचार्य  
Principal  
A.P.S.G.M.N.S.Govt.P.G  
जावाहिर सुन्दरी नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा  
कवर्धा, दिनांक - 23.09.19

पत्र क्रमांक 771 /स्था./ 2019

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

23.9.19  
प्राचार्य  
Principal  
आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब  
C.G.S.G.M.N.S.Govt.P.G  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

O/C

कार्यालय प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृन्था गुनिनाम साहेब शासकीय राजातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्णा  
जिला-कल्पीशाग (छ.ग.)  
(अण्णपी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 1026 / स्था. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 31.11.19

- :: आदेश ::-

प्रति,

कौशिक छुम्हा ८८५  
बिहारी पाठा,  
केमेट्रा (८००३१०)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-३ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446 / 243 / आउशि / अ.व्या. / 2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका हेतु विभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीरींग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

Principal  
Govt. Post Graduate College  
Kavirdham  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
Distt. Kavirdham (C.G.)  
कवर्धा

पत्र क्रमांक 1027 / स्था. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 13-11-19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
Distt. Kavirdham (C.G.)  
कवर्धा

कार्यालय प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृद्धि मुनिनाम साहेब शासकीय राजातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्णा  
जिला-कर्कीशाम (छ.ग.)  
(अश्रुणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 1329 /स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 04-01-2020

- :: आदेश ::-

प्रति,

उमेश कुमार ~~कुमार~~  
ओम कुलमंडा, त्रिवेती  
लवधा, कर्कीशाम

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका प्राप्ति विभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगें।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी।

प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकात्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक - 04-01-2020

पत्र क्रमांक 1330 /स्था. /2019

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकात्तर महाविद्यालय,  
कवर्धा

o/c

कायालय प्राचार्य,  
आचार्य पंथ श्री गृद्धि गुणिनाम साहेब शासकीय राजात्मकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा  
जिला-कावीरेश्वर (छ.ग.)  
(अग्रणी महाविद्यालय)

पत्र क्रमांक 767 / रथा. / 2019

कवर्धा, दिनांक - 21-09-19

- :: आदेश ::-

प्रति,

*निहित रामेश  
आमन्त्रक द्वारा  
मोतीपुर इज्जनाकरण  
(८०२०)*

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-३ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु आपका चयन *शिवाय* विभाग में किया गया है, अतः आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत् नहीं है।
5. कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगें।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 40 / 50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

21/05/19  
प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
Govt. Post Graduate College  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
Distt. Kawardha (C.G.)  
कवर्धा

पत्र क्रमांक 768...../स्था./2019

कवर्धा, दिनांक - 21.05.19

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

21/05/19  
प्राचार्य

आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
Govt. Post Graduate College  
Kawardha  
Distt. Kawardha (C.G.)

O/C



आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम शाहेब

## शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कवर्धा राज्य (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध

email ID : [govtpgcollege.kawardha@gmail.com](mailto:govtpgcollege.kawardha@gmail.com), Website: [www.pgcollegekawardha.edu.in](http://www.pgcollegekawardha.edu.in)

पत्र क्रमांक 1092 /स्था./2021

कवर्धा, दिनांक - 12/03/21

- :: आदेश ::-

प्रति,

श्री योगोद्धरण लालू  
ठा. लट्टूराम लालू  
पता- लोनपुरी, कवर्धा  
कवर्धा राज्य, 9685563565

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-३ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर दिनांक 23.02.2021 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु इस महाविद्यालय के ~~कार्यालयीकारणीय~~ विभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

### अन्य शर्तः :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत् नहीं है।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे।

6. पार्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलींग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

पत्र क्रमांक 1093...../स्था./2021

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

O/C

PRINCIPAL  
P.S.G.M.S GOVT.  
COLLEGE KABIRDHAM  
DISTT-KABIRDHAM  
कवर्धा  
कवर्धा, दिनांक - 12/03/22

PRINCIPAL  
P.S.G.M.S GOVT.  
COLLEGE KABIRDHAM  
DISTT-KABIRDHAM  
कवर्धा



आचार्य पंथ श्री बृन्द गुणि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, ढुर्ज से संबद्ध

email ID : [govtpgcollege.kawardha@gmail.com](mailto:govtpgcollege.kawardha@gmail.com), Website: [www.pgcollegekawardha.edu.in](http://www.pgcollegekawardha.edu.in)

पत्र क्रमांक 1089 / स्था. / 2021

कवर्धा, दिनांक - 12/03/21

- :: आदेश ::-

प्रति,

श्री दरिशंकर लाठू  
ठो, अशोक लाठू  
पता - बिंधनगढ़, कवर्धी  
लखनऊ, mob- 7225011172

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर दिनांक 23.02.2021 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु इस महाविद्यालय के ~~श्री तिक्त शास्त्र~~ विभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत नहीं है।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रूपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रूपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रूपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

पत्र क्रमांक 1090 / स्था. / 2021

PRINCIPAL प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
DISTT-KABIRDHAM कवर्धा  
कवर्धा, दिनांक - 12/03/21

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

o/c

PRINCIPAL प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
COLLEGE KAWARDHA कवर्धा  
DISTT-KABIRDHAM



आचार्य पंथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब

## शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध

email ID : [govtpgcollege.kawardha@gmail.com](mailto:govtpgcollege.kawardha@gmail.com), Website: [www.pgcollegekawardha.edu.in](http://www.pgcollegekawardha.edu.in)

पत्र क्रमांक 1077 /स्था./2021

कवर्धा, दिनांक - 10/03/21

- :: आदेश ::-

प्रति,

कृ. रमेश लुटे  
रायपुर (Chhattisgarh)  
9993352019  
9644140500

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-३ द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर दिनांक 23.02.2021 में निहित निर्देशानुसार तथा आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अतिथि व्याख्याता हेतु इस महाविद्यालय के ~~कार्यालय~~ परिविभाग में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

आप आमंत्रण-पत्र जारी होने के 05 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर यह आमंत्रण-पत्र स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

### अन्य शर्त :-

1. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
2. अतिथि व्याख्याता की हैसियत से कार्य करने के लिए यह अध्यापन व्यवस्था आगामी आदेश तक के लिए है, परन्तु महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपरिथित हो जाने पर स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा अतिथि व्याख्याता अधिसूचना 2012 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित होगी।
4. इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में आप कार्यरत् नहीं है।
5. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानित बर्ताव (Preferential Treatment)के हकदार होंगे।

6. पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को 40/50 मिनट के प्रति व्याख्यान रु. 200/- (रुपये दो सौ) जो प्रतिदिन 800/- (रुपये आठ सौ) तथा प्रतिमाह 20,800/- (रुपये बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन देय होगा ।
7. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य संपन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाय करेंगे ।
8. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवायें आगामी सूचना/निर्देश तक ली जावेगी ।

प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
COLLEGE RAVABHADRA  
DISTT-KABIRDHAM  
कवर्धा, दिनांक - .....

पत्र क्रमांक ..... / स्था. / 2021

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
3. जिलाधीश जिला कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् ।
4. विभागाध्यक्ष ..... आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. स्थापना/लेखा शाखा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य  
आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनि नाम साहेब  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
COLLEGE RAVABHADRA  
DISTT-KABIRDHAM  
कवर्धा